न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88,53 आरटीए
प्रकरण संख्याः–55/2019

विक्रमजीत सिह पुत्र बुटासिह जाति कम्बोज सिख निवासी 5 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम

1. बुटासिह पुत्र दर्शनसिह
2. देवेन्द्र कौर } पुत्रियॉ बुटासिह
3. राजविन्द्र कौर }
} जाति कम्बोज सिख निवासीयान 5 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादी
श्री करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 04.01.2021

वादी विक्रमजीतसिह ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा व खाता तकसीम के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादीसं0 1 के नाम से चकनं0 5 जीजीआर के खाता सं0 92/83 में कुल 2.814 है0 नहरी, अनकमाण्ड मय गै0मु0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जो वादी के दादा से प्रतिवादी सं0 1 को प्राप्त हुई है। उपरोक्त आराजी पैतृक सम्पति होने के कारण वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी को वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी बटवारां कर काश्त के लिए दी हुई है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है। वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी वादी के कब्जा काश्त मे चली आ रही है लेकिन उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज नही होने से तथा समस्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिए वादी वादपत्र की दफा 3 के अनुसार बटवारां में प्राप्त आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर अपनी आराजी का खाता तकसीम करवाकर चकनं0 5 जीजीआर के खाता सं0 92/83 मे से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे तथा वादी की आराजी का खाता तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवा देवे तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा आपसी राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीसं0 1 के नाम से आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त आराजी में हम प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में से अपने हिस्सा की

यक कल
पखण्ड अधिकारी
टिब्बी

आराजी का हक त्याग मौखिक रुप से किया हुआ है वादी को घरू बटवारां में वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी वादी को दी हुई है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है। इसलिए बटवारां में प्राप्त आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर वादी की आराजी का खाता तकसीम कर उपरोक्त अनुसार आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 5 जीजीआर के खाता सं0 18/17 मे से प्रतिवादीसं0 1 का नाम कलमजन व चकनं0 5 जीजीआर के खाता सं0 92/83 मे से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है।राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉं पेश की गई जो बाद तस्दीक राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गयां। स्टेट द्वारा अपना जबाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किये गये। वादी द्वारा वारिसनामा प्रस्तुत किया गया तथा वारिसनामा बाबत स्टाम्प भी प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा अपने पड़दादा उजागरसिह के नाम की जमाबन्दी चक 5 जीजीआर के खाता सं0 18/17 व दादा दर्शनसिह के नाम की खातासं0 87 पेश की गई तथा वादी की माता संदीपकौर का सहमतिपत्र प्रस्तुत किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद में प्रतिवादी सं0 1 के नाम की अन्य भूमि जो कि वादी को प्राप्त हुई है उसका विवरण वाद में अंकित होने से रह गया, जिसका वादी वाद में अंकन करवाना चाहता है। वादी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा कोई आपति नही की गई जिस पर वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक वाद पत्र पेश किया गयां व प्रतिवादीगण द्वारा जबाबदावा सहमति मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किये गये।

बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है।वाद में सहमति का जबाबदावा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है व वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है, पैतृक सम्पति बाबत पड़दादा उजागरसिह के नाम की जमाबन्दी चक 5 जीजीआर के खाता सं0 87 की जमाबन्दी व दादा दर्शनसिह के नाम की खाता सं0 87 की जमाबंदी व वर्तमान जमाबन्दीयां पेश की गई है।वादी द्वारा वारिसान तस्दीक बाबत शपथ पत्र, साक्ष्य के रुप मे शपथ पत्र, आदि प्रस्तुत किये है।प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया गया है।वादी का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक जबाबदावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, राजीनामा, संशोधित वादपत्र, जबाबदावा सहमति, शपथ पत्र वादी का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीगण सं0 1 के नाम से दर्ज है।पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दी वगैरह प्रस्तुत किये गये उन दस्तावेजो के आधार पर व प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार का वाद का विरोध न करने के कारण तथा मुताबिक जबाबदावा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। वादी द्वारा पैतृक सम्पति बाबत अपने दादा दर्शनसिह के नाम की चक 5 जीजीआर खाता सं0 87 व पड़दादा उजागरसिह के नाम की खाता सं0 18/17 की जमाबन्दी पेश की गई है, जिनका अवलोकन किया व जबाबदावा का भी अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक संशोधित वाद व जबाबदावा सहमति एंव प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है।मुताबिक जबाबदावा वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क कलक्टर
पखण्ड अ
टिब्बी

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 5 जीजीआर के खाता सं0 84/21 के प0न0 208/294 मु0 8 किलानं0 1/1/.228, 1/2/.025 है0 गै0मु0 खाला, 2/1/.182 है0 नहरी, 2/3/.020 है0 गै0मु0 खाला, 9/2/.101 नहरी, 10/.253, 11/2/.101 कुल 0.910 है0 नहरी मय गै0मु0 तथा इसी चक के खाता सं0 83/78 मे प0न0 206/292 मु0 1 किला नं0 25/.038 है0, प0न0 206/293 मु0 5 किलानं0 5/1/.228 नहरी, 5/2/.025 है0 गै0मु0 खाला 6/1/.228 है0 नहरी. 6/2/.025 है0 गै0मु0 खाला मे से .127 है0 उतरी दिशा व प0न0 209/294 मु0 किलानं0 5/1/.113, 5/2/.013 है0, 6/2/.228, 6/2/.025 है0 आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार वादी की आराजी का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने व चकनं0 5 जीजीआर के खाता सं0 84/21 मे से प्रतिवादीसं0 1 का नाम कलमजन व चकनं0 5 जीजीआर के खाता सं0 83/78 मे से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं (सांगीलाल) अधिकारी
टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिग्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:–55 / 2019

विक्रमजीत सिंह पुत्र बुटासिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 5 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1.बुटासिह पुत्र दर्शनसिह
2.देवेन्द्र कौर } पुत्रियों बुटासिह } जाति कम्बोज सिख निवासीयान 5 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3.राजविन्द्र कौर
4.तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ, मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं0 5 जीजीआर के खाता सं0 84/21 के प0न0 208/294 मु0 8 किलानं0 1/1/.228, 1/2/.025 है0 गै0मु0 खाला, 2/1/.182 है0 नहरी, 2/3/.020 है0 गै0मु0 खाला, 9/2/.101 नहरी, 10/.253, 11/2/.101 कुल 0.910 है0 नहरी मय गै0मु0 तथा इसी चक के खाता सं0 83/78 मे प0न0 206/292 मु0 1 किला नं0 25/.038 है0, प0न0 206/293 मु0 5 किलानं0 5/1/.228 नहरी, 5/2/.025 है0 गै0मु0 खाला 6/1/.228 है0 नहरी. 6/2/.025 है0 गै0मु0 खाला मे से .127 है0 उतरी दिशा व प0न0 209/294 मु0 किलानं0 5/1/.113, 5/2/.013 है0, 6/2/.228, 6/2/.025 है0 आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार वादी की आराजी का खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने व चकनं0 5 जीजीआर के खाता सं0 84/21 मे से प्रतिवादीसं0 1 का नाम कलमजन व चकनं0 5 जीजीआर के खाता सं0 83/78 मे से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....X....निल....X....मुव्किल....X....निल.....X.....बाबत्....X........निल.......X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..X:....अदा करें। वसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04.01.2021 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
(मांगीलाल)
एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी